–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 32/2020

उनवान

1. पूसा पुत्र रेवंता
2. दयाल पुत्र रेवंता
3. रतन पुत्र रेवंता समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. भागचन्द पुत्र श्रीराम
2. रायचन्द्र पुत्र श्रीराम
3. कमला पुत्री श्रीराम
4. चन्द्रा पुत्री श्रीराम समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
6. मैनजर, स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा श्रीनगर, नसीराबाद
7. लाली पुत्री श्रीराम समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 4 व 6 व 7 अनुपस्थित, 5 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.4.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा में वादीगण की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की भूमि स्थित है, जिसका राजस्व अभिलेख अनुसार विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1448	2–1–0	1644	0.33

उपरोक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर वादीगण ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 19.01.1996 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता द्वारा कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त विकय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 210 दिनांक 05.06.2003 से कयशुदा आराजी वादीगण के नाम दर्ज की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कर निवेदन किया कि, हाल खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.33 राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व लाली पुत्री श्रीराम के नाम दर्ज है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 210 दिनांक 05.06.2003 से वादीगण के नाम दर्ज की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 1448 रकबा 2–1–0 के हाल खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.33 खातेदारी भूमि होने से राजहित प्रभावित नही होते है। इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किया तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 7 को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख अनुसार ग्राम लवेरा के वंर्किग खसरा नम्बर 1448 रकबा 2–1–0 की आराजी वादीगण ने ततकालीन खातेदार श्रीराम पुत्र नाथू से क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र की पालना में तत्कालीन खातेदार श्रीराम पुत्र नाथू के स्थान पर आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 210 दिनांक 05.06.2003 से वादीगण के नाम दर्ज की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 1448 के हाल खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.33 पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय विक्रेता के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व प्रतिवादी संख्या 7 लाली पुत्री श्रीराम के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही दोहराना था। I प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी विक्रय पत्र की पालना में क्रेता वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया। वादीगण ने उक्त आराजी तत्कालीन खातेदार से जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। विक्रेता के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा वादी की विधिक क्रयशुदा सिद्व होती है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 6 के हक में रहन दर्ज है। किन्तु वादी द्वारा उक्त आराजी विधिवत क्रय की गयी है। अतः प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में दर्ज रहन वादीगण के हितों पर अप्राभावी रहेगा। विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 7 के स्थान पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.33 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 7 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पूसा बनाम भागचन्द

दावा बाबत :– 88 188 राज. का. अधि0 1955, धारा 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 32/2020
पेश करने की दिनांक – 04.03.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद् राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.33 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 7 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 4 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:41 IST
Reason: SelfAttested